

take other measures necessary and also make a statement in the House on these two incidents,

**REFERENCE TO THE ALLEGED
SHORT-FULLING OF COOKING GAS
CYLINDERS BY SUPPLIERS IN
DELHI**

श्री राम भगत पासवान (बिहार) :
उपसभापति महोदय, मैं आप के माध्यम से सरकार का ध्यान, पेट्रोलियम मिनिस्टर का ध्यान उन गैस सिलिन्डर के एजेंटों द्वारा की गयी धांधली और भ्रष्टाचार की तरफ दिलाना चाहता हूँ जो कि खाली गैस सिलिन्डर सप्लाई करके पब्लिक से पूरा पैसा वसूल करते हैं। जो गैस सिलिन्डर सप्लाई करते हैं उन की गैस कभी 15 रोज, कभी 10 रोज और कभी दो रोज ही चलती है लेकिन पब्लिक से पूरा चार्ज लेते हैं। जब कभी पब्लिक उस एजेंट के यहाँ इस बात की शिकायत करती है तो यह इस तरह से दिहेव करते हैं कि पब्लिक गलत बता रही है और वही सत्य हों। उस का कहीं कोई निराकरण नहीं हो रहा है। मिनिस्टर के पास या सरकारी अधिकारी के पास लिखा जाता है तो उस का कोई जवाब नहीं मिलता है। मेरे ही साथ एक ऐसी घटना हुई कि 15-4-83 को एक गैस सिलिन्डर हमारे डेरे पर आया और 17 अप्रैल को खत्म हो गया।

श्री उपसभापति : कितने घंटे चलता रहा ?

श्री राम भगत पासवान : दो रोज चलता रहा।

श्री उपसभापति : 48 घंटे चलता रहा ?

श्री राम भगत पासवान : उनका बजत पब्लिक के सामने नहीं होता। उस

पर मनमानी सील रहती है। पब्लिक के पास बजत करने का कोई साधन नहीं। इस तरीके से मनमाने तरीके से सप्लाई करते हैं। कभी 15 रोज चलता है जो कि ठीक ही है, दस रोज में भी खत्म हो जाता है। कोई रोज में ही खत्म हो जाता है हर जगह से यह कम्प्लेंट आ रही हैं। एक एजेंट है होम सर्विस कारपोरेशन फार साउथ एवेन्यू गैस सर्विसेज, 19 बसरकर मार्केट, मोती बाग, नयी दिल्ली—इन के विरुद्ध 18-4-83 को पत्र संख्या 108 दिनांक 18-4-83 को मैंने लिखा, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। इस तरीके से यह लोग निर्भय हो कर पब्लिक को चीट कर रहे हैं। हम मंत्री महोदय से आग्रह करेंगे कि जो खाली गैस सिलिन्डर सप्लाई कर के जनता को चीट किया जा रहा है ऐसे एजेंटों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाय, पब्लिक की कम्प्लेंट पर ध्यान दिया जाय, उस का एजेंसी लाइसेंस कौंसिल की जाय, उस पर मुकदमा चलाया जाय और कड़ी से कड़ी सजा दी जाय ताकि पब्लिक को इस तरह से चीट न किया जा सके।

**REFERENCE TO THE REPORTED
DEPLORABLE STATE OF
AFFAIRS OF THE CHILDREN'S
REMAND HOME, ALEPUR, DELHI**

श्री घनश्याम सिंह (उत्तर प्रदेश) :
माननीय उपसभापति जी, मैं आप के माध्यम से सरकार का ध्यान राजधानी में बालगृहों की स्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। अभी पिछले दिनों 29 मार्च को अलीपुर बालगृह से 43 बच्चे भाग गये। उसके कारण बाल गृहों की स्थिति यह दिखाई पड़ती है कि वहाँ बच्चों के रहने की व्यवस्था ठीक नहीं है। वहाँ पर कमरे इत्यादि ऐसे नहीं हैं कि वहाँ पर बच्चों को रखा जा सके। बच्चों

[श्री धनश्याम तसह]

के इलाज के लिए जहाँ पर उचित व्यवस्था नहीं है। डाक्टर भी कोई नहीं है। यह मैं अलीपुर बालगृह की स्थिति बता रहा हूँ। वहाँ टेलीफोन नहीं है। सुरक्षा के लिए जितने कर्मचारी होने चाहिए वह भी पर्याप्त नहीं हैं। पीने का पानी खारा है जिस को पीने में बच्चों को कठिनाई होती है। बच्चों को सुधारने के लिए वातावरण पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। जो बच्चे बालगृह आते हैं उनकी फोटो वगैरह खिचवानी चाहिए, लेकिन इस नियम का मुस्तैदी से पालन नहीं किया जा रहा है। इन परिस्थितियों में बच्चों का भागने की इच्छा करना स्वाभाविक है। यह हालत उस बालगृह की है जिस को सब से अच्छा समझा जाता है। और प्रदेशों में जो बालगृह जो वहाँ चल रहे हैं वहाँ इससे भी भयंकर स्थिति है। लेकिन उनके बारे में मैं विशेष कुछ यहाँ नहीं कहना चाहता। सरकार की नीति के अनुसार बच्चों की देखभाल के लिये, उनकी सुरक्षा के लिये, उनके कल्याण कार्यों के लिये, उनकी शिक्षा के लिये, उनकी ट्रेनिंग के लिये तथा उनके पुनर्वास और रोजगार के लिये वहाँ पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। यह तमाम सब का अभाव वहाँ पर है। इस लिये मैं आप के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वहाँ पर इन सब चीजों के लिये प्रभावी कदम उठाये जायें ताकि इस प्रकार की घटनाएँ दुबारा न हों।

साथ ही एक और निवेदन करना चाहूँगा कि वहाँ जो घटना घटी है इसकी सही जाँच कर के कोई ऐसी प्रभावी कार्यवाही की जाय जिससे और दूसरे जो बाल गृह हैं उनमें इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। क्योंकि जो इस बाल गृह के बच्चे भागे हैं वहाँ पता लगा है कि वहाँ के कैप्टन टेकर ने शराब पी रखी थी और उस स्थिति में

वहाँ से बच्चे भागे हैं। इससे ही वहाँ के वातावरण का पता चलता है और वहाँ का एक चित्रण सामने आता है।

दूसरा एक और निवेदन करना चाहूँगा कि बाल गृहों में केवल आवारा बच्चे ही नहीं आते। कुछ बच्चों को बँदे ही पकड़ कर पुलिस वहाँ भेज देती है। पुलिस के इस प्रकार के कार्य करने के तरीके में सुधार किया जाय और केवल जो आवारा या दोषी बच्चे हैं वे ही वहाँ पर भेजे जाएँ।

REFERENCE TO THE REPORTED UNSATISFACTORY SERVICE CONDITIONS OF HOME GUARD PERSONNEL IN WEST BENGAL

SHRI ARABINDA GHOSH (West Bengal); I want to draw the attention of the Home Minister through you to the deplorable conditions of service of Home Guards in West Bengal. As per the Central Government's Order No. 47/24/62)ERI dated 11-1-63 37,000 Home Guards were appointed in the districts of West Bengal as voluntary force. All of them come from lower middle class families. They have taken this service as the only mode of living. Almost all of them earn their bread through homeguard duties, for which they are paid Rs. 12.32 on daily wage basis. Most of them are working for 5 years to 10 years without regular service as granted to Police force. The principle of equal pay for equal work is denied to them. As per the direction of the Government of India, the status of Home Guard jawans was equal to that of jawans of police and their duties were complementary to that of Police. Moreover, this service is not permanent. They perform responsible duties like controlling traffic, protecting vital Government installations, guarding Government properties, security of water supply, etc. On an average they are allotted duties for five months in a